हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 06 मार्च, 2018 को माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाहन आरम्भ हुई।

शोकोद्‌गार

06/03/2018/1100/NS/AG/1

अध्यक्षः इस बजट सत्र में भाग लेने के लिए मैं सभी मंत्रीगण व सदस्यों का विशेषकर सदन के नेता, श्री जय राम ठाकुर जी, कांग्रेस विधायक दल के नेता, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी व अन्य सभी आदरणीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा यह भरसक प्रयास रहेगा कि माननीय सदस्यों को सदन में अपनी-अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। वहीं मैं आपसे अपेक्षा भी करूंगा कि आप भी नियमों की परिधि में रहकर चर्चाओं को सार्थक बनाने में मेरा सहयोग करें। मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा भी रहेगी कि इस सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में मुझे अपना सहयोग प्रदान करें।

इससे पूर्व कि आज की कार्यवाही आरम्भ करें, मेरा सभा मण्डप में उपस्थित सभी से निवेदन है कि वे राष्ट्रीय गान के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(राष्ट्रीयगान गाया गया।)

गत विधान सभा सत्र और इस सत्र के मध्य हमारे इस माननीय सदन के दो पूर्व सदस्यों का निधन हुआ है। पहले एक गलती रह गई है। स्वर्गीय ठाकुर रामा नंद जी का निधन पिछले सत्र से पूर्व हो चुका था। परन्तु किन्हीं कारणों से वह सूचना सदन तक नहीं आई थी। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी स्वर्गीय श्री रामा नंद ठाकुर व स्वर्गीय श्री आत्मा राम जी पूर्व सदस्य हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार प्रस्तुत करें।

06/03/2018/1100/NS/AG/2

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हम सबके लिए बहुत खेद का विषय है। पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में जैसे कि आपने कहा है कि पिछले सत्र से कुछ अरसा या कुछ दिन पहले श्री रामा नंद जी, जो इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं, उनका निधन हुआ

था। उनका शोकोद्‌गार पिछले सत्र में आना चाहिए था लेकिन किसी त्रुटिवश नही आ पाया। यह त्रुटि रही है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन में यह सूचित करते हुए अत्यंत दुःख हो रहा है कि श्री रामा नंद जी का 1 अक्तूबर, 2017 को 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ और वे सोलन विधान सभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। उन्होंने उच्च पाठशाला, सोलन से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की

06.03.2018/1105/RKS/AG/1

मुख्य मंत्री....जारी

और उसके पश्चात् एफ.ए., उस समय एफ.ए. होती थी, की परीक्षा को भी उन्होंने पास किया। स्वर्गीय श्री रामा नंद जी ने सोलन जिला में जो ग्राम पंचायत बसाल पड़ती है, उस पंचायत के उप-प्रधान के रूप में चुनाव जीतकर अपने राजनैतिक जीवन में प्रवेश किया। वे स्वभाव से बहुत सरल थे और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ बचपन से जुड़े हुए थे। जनसंघ के आंदोलन में भी उनकी सक्रिय सहभागिता रही। इसके साथ-साथ वे राजनीतिक क्षेत्र में आकर सोलन जिला में जनता पार्टी के जिला महामंत्री भी रहे।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1948 में जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगा था तो उस वक्त वे कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज में पढ़ते हुए भी उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया और परिणाम स्वरूप उनको जेल जाना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस आंदोलन में सक्रिय सहभागिता के साथ-साथ, लोकतंत्र की बहाली के लिए अपना योगदान जिस रूप में दे सकते थे, बहुत ही सक्रियता से दिया।

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री रामा नंद जी वर्ष 1982 में हिमाचल प्रदेश विधान सभा में चुनकर आए और इस माननीय सदन के सदस्य बने। खेतीबाड़ी और बागवानी उनकी रुचि के विषय थे। साथ ही गरीब लोगों की सेवा करना, सामाजिक जीवन के काम में लगे रहना, यह उनके जीवन की एक अलग पहचान थी और वर्षों तक बहुत रुचि के साथ उन्होंने इस

रूप में काम किया। यह माननीय सदन स्वर्गीय श्री रामा नंद जी के प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। यह माननीय सदन उनके निधन पर हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। ईश्वर उनके परिवार को भी इस दुःख को सहने की शक्ति दें, क्षमता दें। ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।

06.03.2018/1105/RKS/AG/2

अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले कल विधान सभा सत्र के पहले दिन का एजेंडा देख रहा था कि क्या-क्या चीजें आज होने वाली हैं, उस बिज़नैस को देखने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने कार्यालय से सचिव, विधान सभा को फोन किया और सहज रूप से पूछा कि अबकी बार कोई शोकोद्‌गार तो नहीं है और उन्होंने कहा कि नहीं है। लेकिन उसके 5-7 मिनट बाद मुझे फोन आता है कि इस माननीय सदन में 4 बार विधायक रहे श्री आत्मा राम जी का निधन हो गया। सचमुच में मुझे यह सुनकर बहुत दुःख हुआ। स्वर्गीय श्री आत्मा राम जी के साथ हमने भी लम्बे समय तक काम किया है। वे कैप्टन साहब के नाम से जाने जाते थे। वे बहुत ही मिलनसार और शालीन स्वभाव के आदमी थे। मैं उनके बारे में एक बात अच्छी तरह जानता हूं कि वे बहुत अच्छी तरह हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं को लिखते थे। उनकी लिखाई इतनी सुंदर थी कि जब वे डी.ओ. नोट लिखते थे तो ऐसा लगता था कि उसको रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमने उनको वर्षों तक इस माननीय सदन में काम करते हुए देखा है। हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। वे अपनी बात को बड़ी सहज़ता और सरलता से कहते थे लेकिन उनकी बात में बहुत गम्भीरता व गहराई होती थी। यह उनके जीवन का पहलू था।

06.03.2018/1110/बी0एस0/डी0सी0-1

सचमुच पिछले कल 05 मार्च, 2018 को 83 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। श्री आत्मा राम जी का जन्म 19 जून, 1934 को कांगड़ा जिला के पट्टी गांव में हुआ। उन्होंने St.

Paul High School, पालमपुर से 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद 1951 में वे भारतीय सेना में भर्ती हुए। 1962 में चीन के साथ युद्ध लड़ा, उसके बाद 1965 एवं 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया और रक्षा वाहिनी से आनरेरी कैप्टन के पद से सेवानिवृत हुए।

अध्यक्ष महोदय, श्री आत्मा राम जी 1982-1990 तक भारतीय जनता पार्टी मण्डल के महासचिव रहे। 1996-1997 तक प्रदेश के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहे। 1997-98 में जिला स्तर पर हमारी पार्टी के संगठन का काम करने की दृष्टि से जिला के कोषाध्यक्ष भी रहे। अध्यक्ष महोदय, संगठन में भी उनकी जिम्मेवारी का मैं जिक्र कर रहा हूं। श्री आत्मा राम जी पहली बार 1990 में इस माननीय सदन के सदस्य चुन कर आये थे। उसके पश्चात 1998, 2003 और 2007 में इस विधान सभा में चुन करके आये। इस प्रकार वे इस हिमाचल प्रदेश विधान सभा के माननीय सदन के चार बार सदस्य रहे। जिस प्रकार से मैं श्री रामा नन्द जी के जीवन का जिक्र कर रहा था, कृषि, बागवानी और सामाजिक क्षेत्र में काम करना, यह उनके जीवन की गहरी रूचि का विषय था। खास तौर से वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा काम करते रहे। यह माननीय सदन श्री आत्मा राम जी के प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है और उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। मैं माननीय सदन और अपनी ओर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और ईश्वर उनके परिवार को इस सदमे से बाहर आने के लिए शक्ति प्रदान करे। अभी कुछ दिन पूर्व मैं कांगड़ा के प्रवास पर गया था तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत फोन से तीन-चार बार फोन कॉल किए। मेरे पास वह नम्बर फीड था। इसलिए मैंने फिर से उन्हें फोन किया और उन्होंने अपनी सेहत का जिक्र भी किया था और

06.03.2018/1110/बी0एस0/डी0सी0-2-

कहा कि मेरी तबियत ज्यादा ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपके कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो पा रहा हूं और यह भी कहा कि मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभ कामनाएं, मेरी ओर से आपको पूरा सहयोग। यह सारी बातें उन्होंने फोन पर कहीं। मैने उनसे कहा था कि जब मैं आपके क्षेत्र के प्रवास पर आऊंगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से मिलने

की कोशिश करूंगा। मैं उनसे नहीं मिल पाया, यह कमी रह गई । अब एक सज्जन और एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच में आज नहीं रहे। मैं उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

06.03.2018/1110/बी0एस0/डी0सी0-3

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने यहां पर इस माननीय सदन के दो पूर्व सदस्य, माननीय श्री आत्मा राम जी और श्री रामा नन्द जी के निधन पर जो शोकोद्‌गार प्रकट किए उसमें मैं अपने आप को और अपने सारे दल को शामिल करता हूं। आत्मा राम जी के साथ तो हमें काम करने का मौका मिला और विधान सभा के जिस भवन में हम रहते थे उसमें श्री आत्मा राम जी भी रहा करते थे। उन्होंने यह उल्लेख किया था कि राजनीति में उनका जो प्रवेश है वह भी एक रोचक किस्सा है, वे भाजपा के उम्मीदवार श्री शम्भु राम जी के कवरिंग उम्मीदवार थे।

06.03.2018/1115/डीटी/डीसी-1

और शंभू राम जी का नोमिनेशन रिजैक्ट हो गया। शंभू राम जी का नोमिनेशन रिजैक्ट होने के बाद उन्हें भाजपा का टिकट मिल गया और वे विधायक बन गये। उसके बाद वे चार दफ़ा इस माननीय सदन के सदस्य रहे और फॉर्टिज़ अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बहुत अर्से तक वे राजगीर क्षेत्र की पहचान बने रहे। वे सेना से सेवानिवृत्ति के बाद राजनिति में आये और काफी समय तक उन्होंने अपना लोहा मनवाया। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनके लेखन की चर्चा तो हमेशा ही हर स्तर पर होती रहती थी। आज के युग में भी जब सब लोग कम्प्यूटर से काम करते हैं तब भी वे अपने सारे डी0ओ0 नोट्स इत्यादि हाथ से ही लिखते थे और उसमें पूरी तरह मोती पिरोया करते थे। वे कुछ अर्से से अस्वस्थ थे और अब हमारे बीच में नहीं रहे। एक बहुत ही शरीफ, ईमानदार छवि

का व्यक्तित्व हमारे बीच में से चला गया। हम हमेशा उनको याद करेंगे। आज इस सदन में उन्हें याद किया जा रहा है। कल उनका दाह संस्कार हुआ।

श्री रामा नन्द ठाकुर जी के साथ हमें काम करने का मौका नहीं मिला। वे वर्ष 1982 के आसपास विधायक बने थे। उसके बाद तो सोलन में आपका युग शुरू हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दो माननीय सदस्य, जिन्होंने इस सदन में अहम भूमिका निभाई, वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। हम उनको बहुत याद करते हैं और जो शोक संदेश उनके परिवार को भेजा जाये, मेरा सदन के नेता से आग्रह है कि उसमें हमारी संवेदनाएं भी सम्मिलित की जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

06.03.2018/1115/डीटी/डीसी-2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो शोकोद्‌गार श्री रामा नन्द ठाकुर व श्री आत्मा राम, पूर्व सदस्य, विधान सभा के संदर्भ में यहां पर रखा है और जिसमें श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी अपने आप को शामिल किया, मैं भी इसमें अपने आप को शामिल करता हूं।

कैप्टन आत्मा राम जी मूलतः जिला कांगड़ा से थे और डिलिमिटेशन से पूर्व इस हलके का नाम राजगीर था। इसलिए जब मैं राजनितिक क्षेत्र में आया तो पड़ौसी होने के कारण उनके साथ हमारा उठना-बैठना और बातचीत स्वभाविक रूप से होती रहती थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनसे हमने काफी कुछ सीखा। हमारी और उनकी उम्र में काफी फ़र्क था। परन्तु जब हम उनके साथ बात करते थे तो हमारी बात को बहुत गम्भीरता से लेते थे, सहजता से लेते थे । मैंने यह भी देखा कि मुझे उनके साथ वर्ष 1998 और वर्ष 2008 में इस माननीय विधान सभा में साथ काम करने का मौका मिला।

06.03.2018/1120/SLS-HK-1

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ...जारी

मैं यह कह सकता हूं कि वे हमेशा अपने विधान सभा क्षेत्र से जुड़े जनहित के मुद्दों को उठाते थे। जब भी वे यहां पर बोलते थे तो तथ्यात्मक बात करते थे यानी जब भी वे यहां बोलते थे तो विषय को गहराई से देखकर या पढ़कर आते थे। मैंने हमेशा यही देखा कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी आवाज को उन्होंने हमेशा इस माननीय सदन में भी उठाया और सदन से बाहर वह उन गरीबों के लिए क्या कर सकते थे, उसके लिए भी वे सदैव तत्पर रहते थे। आज वह हमारे बीच में नहीं है।

मुझे एक बार इण्डो जर्मन चंगर प्रोजैक्ट के अधीन उनके साथ नेपाल जाने का मौक़ा मिला। हम 3 दिन तक वहां इकट्ठे रहे। वहां उन्होंने अपने जीवन के बारे में काफी बातों का ज़िक्र किया। उन्होंने मुझसे कहा कि भगवान् की असीम कृपा है कि मैं मैट्रिक करने के बाद भारतीय सेना में चला गया। उन्होंने बताया कि मैं कभी भी पीछे नहीं हटा; जो जिम्मेवारियों मुझे दी गईं, मैंने उनको निभाने की कोशिश की। उनकी योग्यता ही तो थी, उस काम के प्रति उनकी निष्ठा ही तो थी, जो वह आर्मी से कैप्टन रैंक में सेवानिवृत्त हुए। बीच में जितने युद्ध हुए; जैसे चीन के साथ 1962 का युद्ध हुआ, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, उसमें भी उन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

जैसे अग्निहोत्री जी कह रहे थे, कोई संयोग ही होगा कि उस समय राजगीर से जिस व्यक्ति को पार्टी टिकट दिया गया था, उसका नामांकन रद्द हो गया। श्री आत्मा राम जी उस समय आर्मी से नए-नए सेवानिवृत्त होकर आए थे। श्री शांता कुमार जी को किसी ने कहा और इस तरह इनसे ही बाई चांस नामांकन सैकिंड भी करवाया गया था। फिर इनको ढूंढ़ा गया कि कैप्टन आत्मा राम जी कौन हैं। बैकग्राऊंड तो इनकी थी। फिर राजगीर क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र भी था। जब उनको ढूंढ़ा गया तो मुझे एक साथी कह रहे थे कि उस समय वह अपने कृषि संबंधी काम के लिए खेतों में व्यस्त थे। उनको कहा कि चलो, आपको पालमपुर

06.03.2018/1120/SLS-HK-2

बुलाया है और आपको चुनाव लड़ना है। उनको यह आभाष नहीं हो रहा था कि मुझे भी चुनाव लड़ना है। फिर उनको टिकट दिया गया, उन्होंने ईमानदारी से काम किया और वह विधायक बने। एक बार नहीं, वह इस माननीय सदन के 4 बार विधायक रहे। वह फोरैस्ट कार्पोरेशन के वाईस चेयरमैन भी रहे। विधान सभा में भी वह समिति के सभापति रहे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे 8 दिन पहले उनके बेटे का फोन आया कि मेरे पिता जी बहुत अस्वस्थ हैं और उन्हें खून की बहुत ज़रूरत है। फोर्टिस में उनका ईलाज चल रहा था। मैंने टाण्डा मैडिकल कॉलेज फोन किया और उनके लिए खून की व्यवस्था करवाई। परंतु कल सुबह पता चला कि श्री आत्मा राम जी का देहांत हो गया। इसका मुझे बहुत दुःख हुआ। जैसे कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि बीमार होने के बावजूद भी उनका सभी से टेलिफोन पर संपर्क रहता था। उनको बोलने में असमर्थता रहती थी।

06/03/2018/1125/RG/HK/1

मैं विधायक बना, उसके पश्चात मुझे सरकार में जिम्मेवारी दी गई। उन्होंने मुझे टेलिफोन से शुभकामनाएं दीं कि 'मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।' हम जब भी उनसे मिले, तो उन्होंने हमेशा हमें नेक सलाह दी। लेकिन आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं यही कह सकता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें। उनके परिवार में दो बेटे व बेटी है और जो उनकी बहू है वह जिला परिषद वार्ड, पंचरूखी की सदस्य हैं। वह काफी अधिक वोटों से जीती हैं।

अध्यक्ष महोदय, भगवान उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें और शोक-सन्तप्त परिवार को इस घटना से हुए दुःख को सहन करने की हिम्मत दे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं।

06/03/2018/1125/RG/HK/2

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री रामा नन्द जी ठाकुर जो इस माननीय सदन के विधायक रहे, उन्होंने भी विकट परिस्थितियों में जनसंघ का काम किया। उसके उपरांत वे जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे। माननीय अध्यक्ष जी कल बता रहे थे कि किन-किन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया, वे हमेशा चलते रहते थे। अपनी चिन्ता उन्हें नहीं थी, परन्तु मेरा संगठन एवं मेरी पार्टी कैसे मजबूत हो सकती है, इस बात की कोशिश उन्होंने दिन-रात की। मैं यही कह सकता हूं कि ऐसी दिवंगत आत्माएं स्वर्गीय श्री आत्मा राम जी और श्री रामा नन्द ठाकुर जी जो हमारे इस विचार के नींव के पत्थर के रूप में आज हैं, उनको यहां याद करना बहुत जरूरी था। इसलिए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और संगठन एवं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो कोशिशें कीं, इसके लिए उनको याद करना बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष जी, आपने शोकोद्‌गार पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

06/03/2018/1125/RG/HK/3

अध्यक्ष : : अब श्री राकेश सिंघा जी शोकोद्‌गार में भाग लेंगे।

Shri Rakesh Singha : Hon'ble Speaker, Sir, I rise to pay my condolences and homage to Captain Atma Ram Ji. I have not been associated directly with him but I know from the proceedings of this Hon'ble House and also from the annals of the history of Himachal Pradesh that Captain Atma Ram Ji had made deep contributions not only in this Hon'ble House but also outside this Hon'ble House. He has been a fighter, he had fought many kinds of battles. But it is unfortunate that this battle of life probably no one can fight and it is sad to know that he is no more. I on my own behalf and on behalf of my party pay deepest condolences and request the Leader of the House to convey the same to all the family members, near and dear ones.

It is also sad to learn that Shri Rama Nand Ji, who was a Member of this Hon'ble House, was risen from the grass root politics. Very few have the opportunity, who represent the village level i.e. Panchayat, which is the lowest democratic level of our democracy and then rise to the level of the Vidhan Sabha. He belongs to a rural family

06/03/2018/1130/MS/YK/1

and it is not important for me to what political thought he belonged. But it is important for me that like Capt. Atma Ram Ji, Rama Nand Ji also has had lots of contribution though he had only opportunity to represent once in this House. While condoling his death, I also feel that it is a matter of concern for this House that we could not pay homage at the right point of time while this could not take place. I think, such things should not happen again and I will not hold any one responsible for it. But I definitely feel that we must be careful regarding all those who have represented Himachal Pradesh during different period of time from this House. Because we owe a lot to them and next time I hope this kind of lapse is not made and I once again pay condolences to him and his family members and again request the Leader of the House that please convey these condolences to his family members and near and dear ones. Sir, thank you, for giving me this opportunity.

06/03/2018/1130/MS/YK/2

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, इस सदन को जिन दो महान विभूतियों ने लम्बे समय तक सुशोभित किया है वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। वे महान विभूतियां स्वर्गीय श्री रामा नन्द ठाकुर और स्वर्गीय ऑनरेरी कैप्टन आत्मा राम जी थे।

अध्यक्ष जी, जब कोई आत्मा हम सबसे बिछड़ जाती है तो उसके उपरान्त उसके द्वारा किए गए काम याद आते हैं। मेरा और कैप्टन आत्मा राम जी का राजनीतिक सफर इकट्ठे ही शुरू हुआ था। वर्ष 1990 में पहली बार वे भी इस सदन में विधायक के रूप में चुने गए थे और मैं भी उसी वक्त पहली बार विधायक के रूप में चुना गया था। कैप्टन साहब बड़े सरल स्वभाव के थे। उन्होंने एक ग्रामीण क्षेत्र से उठकर के इस देश की सरहदों की रक्षा की और सेना में रहकर के तीन युद्धों में अपना योगदान दिया। वे युद्ध वर्ष 1962, 1965 और वर्ष 1971 में हुए। मुझे याद है वर्ष 1971 की लड़ाई में मैं भी आर्मी में था। वर्ष 1971 का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिस वक्त एक तरफ पश्चिम सैक्टर में और दूसरी तरफ पूर्वी सैक्टर में युद्ध हो रहा था। कैप्टन साहब पूर्वी सैक्टर में थे जिसको उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। भारतीय सेनाओं ने जिनमें हमारे कैप्टन साहब भी शामिल थे, लगातार साढ़े तीन महीने लड़ाई लड़ी। तीन महीने तक अघोषित युद्ध रहा और फिर 15 दिन जब घोषित युद्ध हुआ तो 15 दिसम्बर 1971 को बंगला देश यानी पूर्वी पाकिस्तान का जन्म बंगला देश के रूप में हुआ। जिसमें कैप्टन साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। अध्यक्ष जी, ऑनरेरी कैप्टन के रूप में सेना से सेवानिवृत्त होना किसी भी इण्डियन आर्मी सोल्जर के लिए सबसे बड़ा मान-सम्मान होता है

06.03.2018/1135/जेके/वाई0के/1

और उसके उपरान्त जब उनका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ उसमें वर्ष 1990, 1998, 2003 और 2007 यानि चार बार एक पूर्व सैनिक को, एक यौद्धा को जहां उन्होंने इस देश की सीमाओं की रक्षा की वहां से हट करके फिर दोबारा से समाज सेवा से जुड़ने का मौका मिला। समाज सेवा भी इस तरह से की कि बार-बार उनको उनकी चुनाव क्षेत्र की जनता ने सर-आँखों पर बिठाए रखा। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आज वे हमसे सदा-सदा के लिए बिछुड़ गए।

अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री रामा नंद ठाकुर जी के साथ मुझे काम करने का मौका नहीं मिला लेकिन उन्होंने भी इस हाउस को सुशोभित किया है। समाज के प्रति, प्रदेश के प्रति और देश के प्रति जो योगदान हो सकता था, उसमें वे भी पीछे नहीं रहे।

आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जो शोकोद्‌गार प्रस्ताव यहां पर रखा है उस प्रस्ताव में मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन दोनों दिवंगत आत्माओं को भगवान अपने चरणों में स्थान दें और साथ में उन दोनों के परिवारजनों को परमपिता परमेश्वर इस दुखभरी घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करें। आदरणीय अध्यक्ष जी आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

06.03.2018/1135/जेके/वाई0के/2

अध्यक्षः श्री राकेश पठानिया।

श्री राकेश पठानियाः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो शोक प्रस्ताव आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर रखा है, मैं भी अपने आप को उसमें शामिल करता हूं। मैं कैप्टन आत्मा राम जी के लिए चन्द शब्द कहना चाहूंगा। First time I met him in 1996 when I contested a bye-election from Nurpur. He was given charge of three panchayats. Twenty four days he was so thickly involved in those three panchayats and till the last moment he was in touch with those people. कल जब उनकी मृत्यु हुई तो मैं उस समय चण्डीगढ़ क्रॉस कर रहा था। मुझे उन तीन पंचायत के लोगों के बहुत फोन आए कि उनकी मृत्यु हो गई और हम भी वहां जाना चाहते हैं। मैंने उनको कहा कि मैं वहां पर नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि मैं अभी बहुत दूर हूं।

अध्यक्ष जी, चुनाव के बाद जब हम लोग बैठे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पिता जी फौज में थे? मैंने कहा कि हां जी फौज में थे। उन्होंने कहा कि वे बहुत पुराने ऑफिसर हैं। मैंने कहा कि 44^{th} कमिशन्ड ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहूंगा। जब वे उनसे मिलने गए तो पहले उन्होंने विश किया और फिर टिपिकल फौजी स्टाइल में खड़े हो कर दोनों हाथ-पैर जोड़ कर जोर से विश किया। मैंने कहा कि कैप्टन साहब अब तो आप दोनों लोग रिटायर हो चुके हैं। My father told me that he is a true soldier and 'soldier will always remain a soldier'. It was a coincidence that during the operations in Bangladesh they both were together. Our relation matured after

1998 when we all joined him in this Hon'ble House, as Shri Vipin Ji was saying. We were not of that age group that I could call him as a friend. He was an elder, a senior and fatherly for us and was always very helpful and very protective. We became Vice Chairman together and I have a very deep regard for him and his family because उसके बाद दो बार मुझे उनके मंडल का चुनाव करवाने का प्रभारी बनाया गया। वहां पर उनके पॉलिटिकल मेनेजिंग देखने का जो आनंद आया, जिस तरह से वे अपने विरोधियों और मित्रों को साथ-साथ चलाते थे वह अपने आप में एक कला थी। I was really very saddened up when I heard the sad news of his demise. I join, and give my condolences and homage to both the Ex-Members.

06.03.2018/1135/जेके/वाई0के/3

I have not worked with Shri Ramanad Thakur Ji and never met him. But I also extend my due regards, respect and condolences to him. I would request the Hon'ble Chief Minister to add me into the list of giving condolences to him and to our very dear Captain Atma Ram Ji.

06.03.2018/1140/SS-AG/1

अध्यक्षः श्री रविन्द्र कुमार जी।

श्री रविन्द्र कुमारः आदरणीय अध्यक्ष जी, दो महान् विभूतियों के शोकोद्‌गार में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। स्वर्गीय श्री कैप्टन आत्मा राम जी, जिस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे उस क्षेत्र का प्रतिनिधितत्व करने का मौका मुझे मिला है, उस विधान सभा क्षेत्र से वे चार बार विधायक रहे हैं। उनका संक्षिप्त जीवन परिचय माननीय मुख्य मंत्री और उसके पश्चात् अन्य माननीय सदस्यों ने दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब टिकट वितरण हुआ और मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए गया, हालांकि शारीरिक रूप से वे थोड़े क्षीण हो चुके थे उसके बावजूद वे चल कर आए। मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि रवि पार्टी ने आपको सेवा का मौका दिया है। मेरी अवस्था को देखते हुए पार्टी के काम या आपके जिस भी काम आ सकूं तो मुझे प्रसन्नता होगी। आज जब हम सब उनके शोक में डूबे हुए हैं मुझे उनके शब्द कानों में सुनाई दे रहे हैं। वे सेना के एक जांबाज

कैप्टन ही नहीं थे बल्कि राजनीति में भी जब भी मैं उस क्षेत्र में जाता हूं तो लोग उनकी कर्मठता, उनके मृद्धुभाषी होने और मिलनसार स्वभाव का हमेशा उदाहरण देते हैं। एक लम्बी बेदाग राजनीतिक जिन्दगी जो उन्होंने जी, उसकी वजह से वे हमेशा लोगों के दिलों में जिन्दा हैं। पिछले कल वे ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मलीन हुए। मैं अपनी और सदन की ओर से परमपिता परमेश्वर से यह कामना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को वह अपने श्रीचरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की भी शक्ति प्रदान करे।

यही भाव यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से श्रद्धेय स्वर्गीय रामा नन्द ठाकुर से न कभी मिला हूं लेकिन अभी जो माननीय सदस्यों ने उनके बारे में उद्‌गार प्रस्तुत किए, मैं उनके लिए भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको भी अपने श्रीचरणों में स्थान दे और उनके भी शोक संतप्त परिवार को इस क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

06.03.2018/1140/SS-AG/2

अध्यक्षःमाननीय श्री किशन कपूर (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री)जी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता ने जो शोकोद्‌गार यहां दिवंगत आत्मा कैप्टन आत्मा राम और ठाकुर रामा नंद जी के निधन पर यहां प्रस्तुत किये हैं, उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं। कैप्टन आत्मा राम जिला कांगड़ा से थे और 1990 में पहली बार इस माननीय सदन के लिए चुने गए थे। हम तीन लोग - ठाकुर महेन्द्र सिंह जी, सुरेश भारद्वाज जी और स्वयं मैं भी 1990 में पहली बार इस माननीय सदन में पहुंचे थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे चार बार इस माननीय सदन के सदस्य रहे। वे बड़े सरल स्वभाव, शालीन व्यवहार और स्पष्टवादी नेता के रूप में जाने जाते थे। स्पष्टवादी नेता होने के कारण वे गलत काम को टोकने से कभी परहेज नहीं करते थे। उन्होंने हमेशा गरीब, दलित और शोषित समाज के उत्थान के लिए काम किया ।

06.03.2018/1145/केएस/एजी/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जारी----

उनकी कार्यशैली सीखने लायक थी। वे हमेशा अपने हाथ से पत्र लिखते थे और जैसे कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा, उनकी हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया थी। कोई भी जन समस्या होती थी तो वे व्यक्तिगत रूचि ले कर उस समस्या का समाधान करवाते थे और उसके बाद वे स्वयं पत्र लिखकर लोगों को अवगत करवाते थे कि मैंने आपकी समस्या का समाधान करवा दिया है। कैप्टन आत्मा राम जी भाजपा मंडल के महामंत्री भी रहे, जिला के कोषाध्यक्ष भी रहे और वन निगम के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने अपनी शिक्षा जी.ए.वी. स्कूल सलियाणा में ग्रहण की और उसके बाद सैंटपॉल स्कूल में दसवीं की शिक्षा पास करने के बाद वे सेना में भर्ती हुए और सेना से कैप्टन के रूप में सेवानिवृत्त हुए। जैसे विपिन सिंह परमार जी ने कहा कि वर्ष 1990 में जब उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया, उस वक्त वे अपना खेती-बाड़ी का काम कर रहे थे। जब आदरणीय शान्ता कुमार जी ने उनको सन्देश भेजा तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि सचमुच उन्हें टिकट दे दिया गया है। वे शान्ता कुमार जी के पास गए और जब शान्ता कुमार जी ने उनसे कहा कि आपको विधान सभा का चुनाव लड़ना है तो उन्होंने चुनाव लड़ा और 1990 में पहली बार इस माननीय सदन के सदस्य चुने गए। पांच मार्च को उनका निधन फोर्टिस में हुआ । जिला कांगड़ा ने एक ईमानदार और योग्य जन-सेवक खोया है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए *ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और इस दुख को सहने की शोक संतप्त परिवार को ईश्वर शक्ति प्रदान करें।*

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय रामा नंद ठाकुर जी ने अपने छात्र जीवन में सत्याग्रह में हिस्सा लिया था और वे 1982 में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य बने। वे ईमानदार और स्पष्टवादी थे। माननीय सदन के जो पुराने माननीय सदस्य हैं, हम सभी को इनसे बहुत सी बातें सीखने लायक है । उनकी आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से उभरने की शक्ति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी शोकोद्‌गार प्रस्ताव में अपने आप को शामिल करता हूं। धन्यवाद।

06.03.2018/1145/केएस/एजी/2

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : सम्माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन का अंग रहे स्वर्गीय ठाकुर रामा नंद जी और श्री आत्मा राम जी, दोनों दिवंगत नेताओं के प्रति शोकोद्‌गार में, मैं स्वयं को सम्मिलत करता हूं। सम्माननीय रामा नंद ठाकुर जी का जन्म एक साधारण

6.3.2018/1150/av/dc/1

कृषक परिवार में हुआ था और वे पूरा जीवन संघर्षशील रहे। मुझे उनसे कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में मिलने का मौका मिला। मैं उनको एक राजनेता के तौर पर कम और एक प्रतीक के तौर पर ज्यादा देखता हूं। हम पहाड़ी लोगों की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में सच्चाई, ईमानदारी तथा सादगी शामिल हैं और ठाकुर रामा नंद जी में, मैं इन तीनों विशेषताओं का हमेशा दर्शन करता रहा। ताउम्र उन्होंने इन तीनों गुणों को अपनाये रखा। मैं उनके बारे में एक विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। 'खादी' जिसको हमारी पीढ़ी के नेता तकरीबन त्याग चुके हैं उसको ठाकुर जी ने अपने पूरे जीवन अपनाये रखा।

कैप्टन आत्मा राम जी ने भी अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया तथा सेना से सेवानिवृत्ति के बाद वे समाज सेवा में लगे रहे। मैं माननीय मंत्री श्री किशन कपूर जी से सहमत हूं। यहां पर जैसे इन्होंने अभी कहा कि इन दोनों नेताओं यानि इस पीढ़ी के नेताओं से हमारे वर्तमान में इस सदन के अन्दर और बाहर सभी राजनीतिज्ञों को कुछ-न-कुछ सीखने के लिए है तथा मुझे आशा है कि हम उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा इनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दें। धन्यवाद।

6.3.2018/1150/av/dc/2

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज हम जिन दो पूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त करने के लिए यहां सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ अपने आपको सम्मिलित कर रहे हैं वे दोनों ही इस भूमि के, इस हिमाचल प्रदेश की

धरती से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ठाकुर रामा नंद जी के साथ मुझे और शायद आपको भी ज्यादा जानने व काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अगर उनके वस्त्रों के हिसाब से आप अन्दाजा लगाते तो कोई कह नहीं सकता था कि उन्होंने कभी विधान सभा के सदस्य के रूप में काम किया होगा अथवा कभी उन्होंने एफ0ए0 पास किया होगा। लेकिन जब वे लिखते थे तो शायद आज पोस्ट ग्रेजुएट अंग्रेजी पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला भी उनके समान अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं रखता होगा। वे विशेष रूप से धरती से जुड़े हुए व्यक्ति थे और बसाल ग्राम पंचायत के उप प्रधान रहे। साथ-ही-साथ, पूर्व में कुछ और व्यवस्थाएं होती थीं जैसे पंचायत में न्याय पंचायत अलग से होती थी। उन्होंने बसाल पंचायत के सरपंच के रूप में अनेक वर्षों तक काम किया। उस इलाके में ग्रामीण स्तर पर लोगों के आपस में सिविल या क्रिमिनल तौर पर जो छोटे-छोटे झगड़े हो जाया करते हैं वे वहीं पर अपनी पंचायत में निपटा दिया करते थे। आज भी उनको उस एरिया में एक न्यायप्रिय सरपंच के तौर पर याद किया जाता है। बसाल पंचायत सोलन जिला की एक बहुत बड़ी पंचायत है जो सोलन से लगता हुआ क्षेत्र है और शायद अब तो यह एरिया नगर निकाय के साथ जुड़ा हुआ है। उन दिनों लोग जनसंघ में भर्ती होने से डरते थे लेकिन तब वे जनसंघ के कार्यकर्ता रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ इस देश में जो राष्ट्रीय विचारधारा का एक अलग school of thought आया उसके साथ वे वर्ष 1948 से पूर्व से जुड़े रहे। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगा था तो उसके विरोध में सारे देशभर में सत्याग्रह हुआ था। उस सत्याग्रह में विद्यार्थी रहते हुए उन्होंने अपने आपको शामिल किया और दो महीने तक वे कारावास में रहे।

6.3.2018/1155/टीसीवी/डीसी/1

उनका निधन 88 वर्ष की आयु में हुआ। किसी कारण से पिछले सदन के दौरान जब कोड-ऑफ-कंडक्ट लगा हुआ था और चुनाव हो गया। उस समय जब विधान सभा का सत्र हुआ तो यह चूक हो गई होगी। लेकिन हम उनके परिवार के प्रति यहां पर संवेदना व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

इसी प्रकार से कैप्टन आत्मा राम जी भी जैसा आदरणीय किशन कपूर जी ने कहा- वर्ष 1990 में वे हमारे साथ विधायक चुनकर आये थे। वे उन फौजियों में से थे जिन्होंने चीन और पाकिस्तान दोनों देशों के विरूद्व भारत की सेना में रहकर युद्ध में भाग लिया था।

उन्होंने 1962 और 1965 की लड़ाई में ही भाग नहीं लिया, 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था और वहां जो मुक्तिवाहिनी बनी थी उसमें वे भारतीय सेना की ओर से पहले ही भेज दिए गये थे। इसी प्रकार हमारे आदरणीय ठाकुर महेन्द्र सिंह जी भी हैं, वे भी उस मुक्तिवाहिनी में रहे हैं और उसी समय कैप्टन आत्मा राम जी भी उस मुक्तिवाहिनी में थे। उन्होंने एक ट्रू सोल्जर के रूप में तीनों ही युद्ध में वहां पर हिन्दूस्तान का प्रतिनिधित्व किया। हिन्दूस्तान की फौज़ में वहां पर युद्ध में भाग लिया और उसके बाद जब वे सदन में आए, वे मेरे साथ विधान सभा की अनेकों समितियों में 1990 और 2007 में रहे। वे मृदुभाषी थे, लेकिन जिस चीज के लिए किसी आग्रह पर अड़ जाते थे, उसको पूरे आग्रह सहित रखते थे। इस प्रकार से वे जनता के काम को करने के लिए या करवाने के लिए पूरी तन्मयता के साथ लड़ते थे। उनका निधन 83 वर्ष की उम्र में हुआ। इस सरकार को बने हुए अभी दो साल हुए हैं, बहुत-सारे विधायक जो उनके साथ रहे हैं, उन्होंने उन सब को दूरभाष किए। जब मैं विधान सभा का चुनाव जीता था, तो मुझे भी उन्होंने बधाई दी थी। उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद भी वे घर में बैठे-बैठे राजनीतिक रूप से सक्रिय थे। ये माननीय सदन, सदन के नेता द्वारा जो उद्गार व्यक्त किए गए हैं, उनके साथ हम सब शामिल हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर रामा नन्द जी तथा कैप्टन आत्म राम जी के परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उन्हें ईश्वर अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

6.3.2018/1155/टीसीवी/डीसी/2

अध्यक्षः स्वर्गीय ठाकुर रामा नन्द जी, स्वर्गीय कैप्टन आत्मा राम जी के प्रति जो शोकोद्गार/उद्गार सदन के नेता, माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी, माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी व अन्य सदस्यों ने व्यक्त किए हैं, मैं भी अपने आपको उसमें शामिल करता हूं। ठाकुर रामा नन्द जी से बाल्यकाल से हमारा संबंध रहा है। सोलन के बिल्कुल साथ लगता सेरी गांव, जब छोटे थे तो वहां सैर के लिए जाते थे और ठाकुर साहब के घर से लस्सी या दूध पीकर आते थे। आज भी यदि गांव के विकास की कोई कल्पना करनी है, तो हम एक बार जाकर सेरी गांव को देखें। वह एक छोटा-सा गांव है, शायद

उसमें एक भी घर कच्चा नहीं है। सारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बने हैं और सब लोग दूध, पशुपालन और कृषि का व्यापार करते हैं। उसमें आदरणीय ठाकुर रामा नन्द जी की बहुत बड़ी भूमिका है। वे बाल्यकाल से सक्रिय रहे, वर्ष 1944-45 में जब सोलन में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ शुरू हुआ उस समय बाल स्वंयसेवक के रूप में उसमें जुड़े।
06/03/2018/1200/NS/HK/1

वर्ष 1948 में वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ऊपर लगे प्रतिबंध का विरोध करने के कारण हिसार की जेल में रहे और हिमाचल प्रदेश में जब जनसंघ की स्थापना हुई तब उन्होंने संस्थापक सदस्य के नाते उसमें भाग लिया। बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा, पर उनके जीवन की सादगी का कम्पेरिज़न करना बहुत कठिन है। वे एक थैला अपनी बगल में लटकाते थे। जैसा कि डॉ0 सैज़ल जी ने कहा कि वे खादी के कपड़े पहनते थे और थैले में चने डाल करके गांव-गांव जाते थे तथा वहां पर अपने विचार और व्यवहार को मूर्त रूप देते थे तथा जनसंघ को खड़ा करते थे। तत्पश्चात वर्ष 1977 में जनता पार्टी बनी और उन्होंने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 1982 में वे सोलन से विधायक चुने गये। उनका जीवन अपने आप में एक चलता-फिरता ग्रन्थ था। वे कोपरेटिव मूवमैंट के साथ जुड़े रहे, कोपरेटिव सोसायटीज़ को चलाते रहे और पंचायतों के कामों में लगे रहे। यह बहुत दूर की बात नहीं है। शायद गत वर्ष तक वे यहां विधान सभा में पूर्व सदस्य के नाते अपनी पैंशन लेने और बैंक अकाउंट ओपरेट करने भी आया करते थे। उनका जीवन ऐसा सादगी भरा और डिवोशन से लीवरेज़ रहा है। वे अन्तिम समय तक समाज के प्रति अपना योगदान देते रहे हैं।

मुझे स्वर्गीय कैप्टन आत्मा राम जी के साथ तीन बार इस विधान सभा में काम करने का अवसर मिला। हमने उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा है। वे हमारी विधान सभा कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं और कमेटी के चेयरमैन रहते हुए मैं उनके साथ एक टूअर पर भी गया हूं। मैं सात दिन तक निरन्तर उनके साथ रहा हूं। स्वर्गीय कैप्टन आत्मा राम जी विशिष्ट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। मैं दोनों दिवंगत विभूतियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त

करता हूं। परमपिता परमात्मा के श्रीचरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे इन दोनों की आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके परिवारजनों को इस दुःख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

06/03/2018/1200/NS/HK/2

जहां तक ठाकुर रामानंद जी के प्रति संवेदना व्यक्त करने में देरी हुई है या चूक हुई है, ऐसा भविष्य में न हो इसे ध्यान में रखने की बात भी यहां कही गई है तो भविष्य में ऐसा ध्यान रखा जाएगा।

अब मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दिवंगत आत्माओं को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए अपने-अपने स्थान पर कुछ क्षण के लिए मौन खड़े हो जाएं।

(सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

06/03/2018/1200/NS/HK/3

अध्यक्षःइससे पूर्व कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य के लिए कहूं; मुझे माननीय सदस्य श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से आज प्रातः 09.40 बजे नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जोकि श्री राम लाल ठाकुर व श्री जगत सिंह नेगी माननीय सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित है तथा

06.03.2018/1205/RKS/HK/1

अध्यक्ष महोदय ....जारी

जोकि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश में भू-सुधार कानून की धारा-118 हटाने बारे, माननीय मुख्य मंत्री जी के बयान से संबंधित है। जिसे मैंने विचारोपरांत विभागीय वस्तुस्थिति हेतु भेज दिया है। जैसे ही विभाग से उत्तर प्राप्त होगा। ...(व्यवधान)... माननीय

सदस्य, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, आज आप सदन में आए और आपने कहा कि नियमों की परिधि में काम होगा। हमने नियमों की परिधि के तहत नियम-67 में स्थगन प्रस्ताव दिया। आपने कहा कि चर्चा होगी और आपको समय दिया जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि मैंने स्थगन प्रस्ताव सरकार को भेजा है। यह प्रदेश का एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें डेढ़, दो महीने की सरकार ने हाथ डाला है। इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान आने से विवाद शुरू हुआ है। ...(व्यवधान)... माननीय मुख्य मंत्री जी का जो बयान आया है, उससे यह स्थिति पैदा हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर अविलम्ब चर्चा हो। यह भू-सुधार कानून की धारा को समाप्त करने का विषय है। यह हिमाचल प्रदेश की मूल भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य मंत्री डॉ0 परमार ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी मुझे व्यवस्था देने दीजिए। ...(व्यवधान)... मुझे व्यवस्था देने दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, नये मुख्य मंत्री बने और इन्होंने कहा कि युग परिवर्तन हुआ है। अब आप बताएं कि क्या युग परिवर्तन हुआ? क्या युग परिवर्तन इसलिए हुआ कि हिमाचल प्रदेश की ज़मीने बेचने की संभावनाएं तलाशी जाएं? क्या युग परिवर्तन इसलिए हुआ कि धारा-118 को हटाया जाए। ...(व्यवधान)... क्या आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में धारा-118 हटाने या सरलीकरण की बातें की थीं? ...(व्यवधान)...

06.03.2018/1205/RKS/HK/2

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कही है। ...(व्यवधान)... एक मिनट, मुझे व्यवस्था देने दीजिए। ...(व्यवधान)... मुकेश जी, मुझे व्यवस्था देने दीजिए।

...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, मुझे व्यवस्था देने दीजिए, उसके बाद अपनी बात कहिए। ...(व्यवधान)... मुझे व्यवस्था देने दीजिए, उसके बाद अपनी बात कहिए। ...(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष जी, ...(व्यवधान)...

Speaker : Not to be recorded.

मुझे व्यवस्था देने दीजिए,उसके बाद आप बोलिए ।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए।)

06.03.2018/1210/बी0एस0/वाई0के0-1

माननीय सदस्य कृपया बैठ जाइए...... (व्यवधान)......

(विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर नारेबाजी करने लगे।) .....(**व्यवधान**).....

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य भी खड़े हो कर शोरगुल करने लगे).....(**व्यवधान**)...

अपराह्न 12.13 बजे विपक्ष के सभी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।

मुख्यमंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, मुझे लगता है कि हमारे सामने वाले मित्र, अभी दो-अढ़ाई महीने पहले जो चुनाव का परिणाम आया है, उस सदमें से वे अभी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जिस मुद्दे को लेकर इन्होंने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाया है। अध्यक्ष महोदय, उसका कोई औचित्य ही नहीं है।

06.03.2018/1215/डी.टी./वाई.के./1

अगर सरकार ने कानून को परिवर्तित करने या उसमें कोई अमेंडमेंट करने की बात कही होती तो भी बात समझ में आती। हमने सिर्फ इतना कहा कि नियम-118 में एक बार नहीं अनेकों बार संशोधन होता रहा है, सरलीकरण होता रहा है। अगर हम हिमाचल प्रदेश को विकास की दृष्टि से देखें तो हिमाचल प्रदेश का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और हिमाचल

प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। अध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमने 118 के एक्ट में कोई भी संशोधन करने का न तो जिक्र किया है और न इसे परिवर्तित करने के लिए कोई बात कही है। क्या यह सच नहीं है कि 1972 में जब से यह कानून बना है उसके बाद अनेक दौर आये जबकि इस कानून में अनेक परिवर्तन किए गए। परिवर्तन कानून में भी किया गया है और उसके साथ-साथ कानून परिवर्तन के नियमों में भी संशोधन किया गया है। मैं उन सारी चीजों में विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन बिना वजह, बिना बात के सिर्फ अखबार की सुर्खी बनाने के लिए यह सब हो रहा है। आज इस विधान सभा सत्र का पहला दिन है और पहले ही दिन अखबार में वाक आउट की खबर लगे, मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम जल्दी में नहीं है परन्तु हमारे मित्रों को बहुत जल्दी लगी है और वे यहां से चले गए। अभी जिन्हें विपक्ष के नेता की नई-नई जिम्मेवारी दी है, वे जल्दी में हैं। हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में, हम यह चाहते हैं कि हमारी पनबिजली परियोजनाएं, इंडस्ट्रीज और उसके साथ- साथ टूरिज्म सैक्टर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें एक उम्मीद के रूप में विकास की दृष्टि से दिखता है। उस क्षेत्र में लोग आएं और हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। उसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ बातों को ले कर हमें विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें नियम-118 पर थोड़ा सरलीकरण की बातें सुझाव की दृष्टि से आई। अध्यक्ष महोदय, हमने इस सुझाव को लोगों के बीच में रखा। अभी इसमें कुछ नहीं किया है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से इस बात से वाकिफ नहीं हूं कि हमने उसमें संशोधन करना क्या है?

06.03.2018/1215/डी.टी./वाई.के./2

हमने कहा कि अगर सचमुच में लगता है कि इसमें संशोधन करने की गुंजाइश है तो इस विषय पर लोग अपने सुझाव दें। हम उन मित्रों को भी कहना चाहते हैं कि प्रदेश हित में वे भी अपने आप को इसमें शामिल करें। वे भी सुझाव दें और अगर हमें लगेगा कि इसमें प्रदेश का हित है, प्रदेश में रहने वाले लोगों का हित है, प्रदेश के विकास की दृष्टि से हित

है तो उसके बाद ही उस दृष्टि में आगे बढ़ने की संभावना है। लेकिन उसके बावजूद जो मुद्दा था ही नहीं और जो मुद्दा है ही नहीं, उस मुद्दे को बनाने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह यह है कि राजनीति का स्तर किस हद तक गिर गया है। जो हमने किया नहीं, उस पर चर्चा चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने किया उस पर चर्चा कर दे तो मुझे लगता है उन्हें इस माननीय सदन में बैठना मुश्किल हो जाएगा। जो पिछले पांच सालों में होता रहा और जो पांच साल पहले सत्ता रही उस समय क्या-क्या होता रहा? अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं । वर्ष 1995 में नियम- 118 में संशोधन किया गया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद 28.12.1996 को फिर संशोधन किया। उस वक्त किस पार्टी की सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी । अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को भी मानता हूं कि हमारी सरकार के दौरान वर्ष 2011 एवं वर्ष 2012 में नियमों में सरलीकरण की दृष्टि से आंशिक संशोधन हुआ।

06.03.2018/1220/SLS-AG-1

अध्यक्ष महोदय, वह बाहर चले गए। यह बजट स्पीच 7 फरवरी, 2014 की है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट स्पीच का जो पैरा संख्या : 81 है, जो बाहर चले गए, इसे हम उनको सुनाना चाहते थे। इसमें लिखा है - 'राज्य सरकार नए निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से उद्योग मित्र वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। हमने स्वीकृति प्रदान करने की प्रणाली को कारगर बनाया तथा सभी मध्यम एवं बड़ी परियोजनाओं को 90 दिन की अवधि में स्वीकृति प्रदान करने के लिए सामान्य प्रार्थना-प्रपत्र आरंभ किया है।' उस वक्त के मुख्य मंत्री, जो बाहर चले गए, यह उनका बजट भाषण है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद इन्होंने कहा है - 'विभिन्न स्वीकृतियों को अधिक सरल व कारगर बनाने तथा शीघ्र निपटाने के लिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जब मेरी अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय एकल खिड़की तथा अनुश्रवण समिति द्वारा किसी औद्योगिक इकाई को अनुमोदन प्रदान किया जाता है तो उसके तुरंत बाद इकाई की स्थापना के लिए H.P. Tenancy and Land Reforms Act की धारा 118 के अंतर्गत एक तय भूमि की सीमा के भीतर प्रदेश सरकार द्वारा निजी भूमि क्रय करने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी जाए।' यह उन्होंने स्वयं कहा है जो बाहर चले गए। आप वर्ष 2014 में स्वयं करते हैं लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कुछ और अच्छा हो; हमने किया नहीं है लेकिन हमने इतना ही कहा कि इस पर सुझाव दीजिए,

अपनी बात कहिए, फिर भी इस बात का आप विरोध करते है। हम तो लोगों के बीच भी इस बात को कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता भी इसमें सहयोग करे, हमें अपने सुझाव दे। अध्यक्ष महोदय, राजनीति के लिए हर वक्त, हर जगह यह ज़रूरी नहीं है कि इस प्रकार से व्यवहार किया जाए जिस प्रकार से इन मित्रों ने किया है। यह अवांछनीय है और इससे सचमुच में इस सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है।

मुझे आज सुबह कुछ साथी कहने लगे कि आप भी यही करते थे, आप भी नियम-67 का इस्तेमाल करते थे। लेकिन हमारे द्वारा नियम-67 का इस्तेमाल किसलिए होता था?

06.03.2018/1220/SLS-AG-2

उस वक्त नियम-67 का इस्तेमाल इस बात के लिए हुआ कि वह विषय इस प्रकार का था जो चौक-चौराहे का विषय बन गया था, जिसमें मामले दर्ज़ हुए पड़े हैं। एक नहीं, उसमें अनेकों मामले दर्ज़ हुए पड़े हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उस विषय को इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के मित्रों ने जिस प्रकार से व्यवहार किया, यह बहुत अशोभनीय और गैर-जिम्मेदाराना है। जिस मित्र को यह नई जिम्मेवारी मिली है, मुझे लगता है कि वह जिम्मेवारी के साथ पेश आए तो अच्छा रहेगा। साथ ही, उनके साथ जो लोग हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम उनको खोदने में लग जाएं तो मुझे लगता है कि उनको बहुत मुश्किल होगी। हमारे पास सब-कुछ उपलब्ध है। मुझे लगता है कि जितने साथी उधर आए हैं, उनमें से अधिकांश लोग उसमें हैं, लेकिन मैं उनका ज़िक्र नहीं करना चाहता हूं। मैं जल्दबाजी में भी नहीं हूं। मैंने पहले दिन से कहा है कि हम बदले की भावना से काम करने वाले लोगों में से नहीं हूं। हमने तो इस बात की शुरुआत की लेकिन शुरुआत की चूक उनसे हुई है। अगर शुरुआत की चूक उनसे हुई है, अगर उन्होंने इस प्रकार से यह व्यवहार किया है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम भी विवश होंगे। बहुत सारी चीजों को हमने सोच से हट कर करने की सोची थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो यह धारा-118 का ज़िक्र कर रहे हैं, इसमें जो हमने किया ही नहीं, ये उस पर चर्चा चाहते हैं। जो हमने अभी तक सोचा भी नहीं, उसको लेकर ये हम पर मामला दर्ज़ करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने

लोगों के सुझाव की दृष्टि से बात की है। मुझे लगता है कि हमारे मित्रों को यह बात समझ आ जानी चाहिए। अगर समझ नहीं आएगी तो जनता ने 3 महीने पहले उनको समझा दी है, नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हुए, वहां पर भी समझा दी और उसके बाद आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव आएगा तो उसमें भी यह समझाने का दौर चलता रहेगा। हिमाचल प्रदेश में मज़बूत सरकार है। ऐसी बातों की परवाह करने की हमें आवश्यकता नहीं है। मुझे इतना ही कहना है कि उन्होंने इस विषय को अनावश्यक रूप से उठाया है और मैं इस वॉक आऊट की बहुत निंदा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

06/03/2018/1225/RG/AG/1

अध्यक्ष : श्री मुकेश अग्निहोत्री जी एवं जिसमें दो अन्य सदस्यों के भी हस्ताक्षर हैं, नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव उन्होंने दिया और जो विषय प्रतिपादित किया, उसके संबंध में 'संसदीय पद्धति और प्रक्रिया, कॉल एण्ड शकधर' ', 'स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता', 'सामान्यता किसी स्थगन प्रस्ताव का विषय सरकार के व्यवहार अथवा किसी चूक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संबंधित होना चाहिए और उसमें सरकार के किसी कार्य की आलोचना उपलक्षित होनी चाहिए अर्थात या तो उसने ऐसा कोई कार्य किया जिसकी आलोचना की जानी चाहिए या कोई ऐसा कार्य नहीं किया जोकि उस समय उसके द्वारा किया जाना बहुत आवश्यक था। कोई स्थगन प्रस्ताव तभी ग्राह्य हो सकता है जब सरकार संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असफल रही हो।' अपने निर्णय को देने से पूर्व इसी का अंग्रेजी पाठ मैं सदन के सम्मुख रख रहा हूं और यह बहुत स्पष्ट है, "Generally speaking, the subject matter of an adjournment motion must have direct or indirect relation to the conduct or default on the part of the Government and must be in the nature of criticism of the action of the Government either for having done some action -it is very important to mention either for having done some action - or for having omitted to do some action which was urgently necessary at the moment. An adjournment Motion is not admissible unless there was failure on the part of the Government to perform the duties enjoined by the Constitution and the law." क्योंकि सरकार द्वारा धारा-118 के अन्दर

कोई परिवर्तन संबंधी निर्णय नहीं किया गया, इसलिए यह नियम-67 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता। इसलिए इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

06/03/2018/1225/RG/AG/2

श्री राकेश सिघा : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : श्री राकेश सिंघा जी, बोलिए।

Shri Rakesh Singha: Hon'ble Speaker, Sir, the statement made by the Hon'ble Leader of this House to a certain extent has removed the doubts expressed regarding Section 118 of the H.P. Tenancy and Land Reforms Act. लेकिन यह सच है कि आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री के जो भी बयान अख़बारों में आए हैं, उसने एक ऐसी आशंका पैदा कर दी है कि हम धारा-118 में संशोधन करने जा रहे हैं। हालांकि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उसके मुत्तल्लिक अभी बयान दिया है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि ये जितने भी विवादित मसले हैं अगर कोई ऐसी प्रक्रिया इस सदन में पैदा कर दी जाए जिसके तहत सभी को विश्वास में लेकर कोई ऐसा कार्य किया जाए, तो मैं समझता हूं कि वह हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री का बिल्कुल यह कर्तव्य भी है और यह इनका विशेषाधिकार भी है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के चुने हुए मुख्य मंत्री हैं, यह इनका अधिकार है। लेकिन फिर भी मेरा और मेरी पार्टी का मानना यह है कि ऐसे मसलों को लेकर हम धैर्य व धीरज के साथ आगे जाएं, तो ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगी।

06/03/2018/1230/MS/DC/1

श्री राकेश सिंघा जारी----

मैं मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि आप स्पष्ट तरीके से इस मसले को लेकर क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब हमने इस ऐक्ट को और खासकर धारा 118 को अपने लैण्ड टैनेंसी एण्ड रिफॉर्म्ज ऐक्ट में शामिल किया था तो उद्देश्य यह था कि हिमाचल का जो गरीब किसान है उसकी भूमि पर किसी का आक्रमण न हो। यह सदन जानता है कि इस धारा का दुरूपयोग बहुत से लोगों ने किया है। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि जे0पी0 कम्पनी को जो जमीन धारा 118 के तहत मिली है उसने आज उस जमीन का दुरूपयोग किया है। इसलिए धारा

118 हमारे लिए और हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय यह बयान दे देते हैं,

अध्यक्षः माननीय सदस्य, एक मिनट के लिए बैठ जाइए।

श्री राकेश सिंघाः मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप बोल लीजिएगा लेकिन मुझे एक मिनट बोलने दीजिए।

Shri Rakesh Singha: ---(Interruption)--- Speaker, Sir, I am completing my statement. If the Hon'ble Chief Minister makes a statement that this Section-118 will not be touched without getting it for a discussion in this Hon'ble House, I will be satisfied. But there are severe doubts amongst the people . मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि आज लोगों में बहुत बड़ी आशंका है कि अगर इस धारा को संशोधित इस नाम से किया जाता है कि हम पूंजी का निवेश हिमाचल प्रदेश में करना चाहते हैं तो उसका दुरूपयोग हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यही हमारी चिन्ता है, हमें और कोई चिन्ता नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ऐसा कह देते हैं तो हम संतुष्ट हो जाएंगे।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपका विषय आ गया है। जिस दिन इस पर चर्चा होगी उस दिन आपको बोलने के लिए पूरा समय दिया जाएगा।

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी स्टेटमैंट दे दें कि इस धारा के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, जब इस विषय पर चर्चा आएगी तब इसके ऊपर आप पूरी बात कह लेना।

06/03/2018/1230/MS/DC/2

संसदीय कार्यमंत्री : अध्यक्ष जी, सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत स्पष्टता से उदाहरणों सहित यहां पर जवाब दिया है। आज यह कोई मुद्दा नहीं है बल्कि नॉन-इशू को इशू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्ष 1972 में जो ऐक्ट बना है और जो धारा 118 यहां आई तो एच0पी0 लैण्ड टेनेंसी एण्ड

रिफॉर्म्ज ऐक्ट में उसके बाद दो-तीन बार संशोधन हुए हैं और वे कांग्रेस की सरकार द्वारा किए गए हैं। जो उसके अंदर रुल्ज बने हैं अनेकों बार उनको सरलीकरण करने के लिए बदला है क्योंकि धारा 118 में केवल-मात्र किसी को कुछ करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। धारा 118 के अंतर्गत कितनी जमीनों की कितनी परमिशन्ज इन्होंने दे रखी हैं अगर वह सारा रिकॉर्ड देखा जाए कि किस-किस पूंजीपति को पिछले सालों से लेकर आज तक कितनी परमिशन्ज दी गई हैं तो वह सब सदन के सम्मुख और प्रदेश के सम्मुख है। श्री राकेश सिंघा जी को भी मालूम है कि इन्होंने कितने लोगों को परमिशन्ज दी हैं। बड़ी-बड़ी कम्पनीज को जो इन्होंने परमिशन्ज दी हैं वे इसके तहत दी हैं। उसमें सरलीकरण हो सकता है और उसमें हम ऐसी रोक लगाएं जिससे उस प्रकार की चीज ही न हो। तो आज कैसे प्रज्यूम किया जा सकता है? क्योंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मुख्य मंत्री जी, माननीय मंत्री और माननीय सदस्य यदि कोई भी चीज बाहर फ्लोट करते हैं तो वह कई सुझावों के लिए होती है। लेकिन क्या निर्णय ले लिया है या कैबिनेट का निर्णय हुआ है या क्या उसमें विधान सभा ने कोई निर्णय लिया है तब तो उसके बारे में बात आएगी। जब आज कोई कागज नहीं है, कोई बात नहीं है, न कोई इशू है तो नॉन-इशू को इशू बनाने का अनावश्यक रूप से प्रयास किया जा रहा है। जब ऐसा कुछ सदन में आएगा तो सदन में उस पर अपने विचार रखने का सबको मौका मिलेगा। आपने स्वयं कहा भी है कि नियमों के अंदर बात करें। तो नियम-67 के अंतर्गत आपकी बड़ी स्पष्ट रुलिंग आई है और कॉल एण्ड शकधर भी कहते हैं और नियम भी यही कहते हैं तो उससे बाहर जब इशू ही नहीं है तो बिना इशू के इशू बनाने का प्रयास केवल-मात्र गैलरी को इम्प्रैस करने के लिए किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि नियमों के अंतर्गत ही किसी को बोलने की परमिशन मिलनी चाहिए और उसकी परमिशन अध्यक्ष जी आप देंगे तो सर्वमान्य है। यदि बात नियमों के अनुसार होगी तो उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे और सुनेंगे भी।

06.03/2018/1235/जेके/डीसी/1

लेकिन बिना मुद्दे के कोई घटना इस प्रकार होती है तो मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के टैक्स पेयर्ज़ के पैसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिना मुद्दे के इस प्रकार की चीज़ की जा रही है और फिर बाद में उनको कोई बात सुननी ही नहीं है। जब करेंगे कोई, तब करेंगे लेकिन जब नहीं करेंगे तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता ने मैन्डेट दिया है।

टू थर्ड मैजोरिटी हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री जय राम ठाकुर को दी है और ये जो तय करेंगे वह यह सदन तय करेगा क्योंकि ये सदन के नेता हैं। अगर सदन कोई चीज़ पास करेगा तो वह पास होगी और अगर नहीं करेगा तो नहीं होगी। लोकतंत्र में उसकी व्यवस्था के अनुसार सभी को काम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के वाक आउट का कोई कारण नहीं था और जो वाक आउट किया गया है, वह आम जनता के समय को बर्बाद करने का काम किया गया है जिसकी घोर निन्दा होनी चाहिए।

06.03/2018/1235/जेके/डीसी/2

अध्यक्षः अब सदन के नेता, माननीय मुख्य मंत्री सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगें

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं मान्य सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो इस प्रकार हैः-

मंगलवार 6 मार्च, 2018 (1) शोकोद्गार

(2) शासकीय/विधायी कार्य।

(3) अनुपूरक बजट प्रथम एवं अन्तिम किस्त वित्तीय वर्ष 2017-2018-प्रस्तुतिकरण।

बुधवार 7 मार्च, 2018 (1)शासकीय/विधायी कार्य।

(2) अनुपूरक बजट प्रथम एवं अन्तिम किस्त वित्तीय वर्ष 2017-2018ः

(i) सामान्य चर्चा;

(ii) मांगों पर चर्चा एवं मतदान; और

(iii) विनियोग विधेयक-पुरःस्थापना, विचार-विमर्श एवं पारण।

वीरवार 8 मार्च, 2018 (1) शासकीय/विधायी कार्य।

(2) गैर-सरकारी सदस्य कार्य।

शुक्रवार 9 मार्च, 2018 बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2018-19 प्रस्तुतीकरण।

06.03/2018/1235/जेके/डीसी/3

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगें

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, प्रचार सहायक, ग्रेड-I, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपब-ए 3(43)99 दिनांक 16.08.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.08.2017 को प्रकाशित; और

(ii) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उपधारा(2) के साथ पठित धारा 36 के खण्ड(ख) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रशासनिक अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपर(एपी.बी)(ए)(3)-4/2015 दिनांक 28.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.10.2017 को प्रकाशित ।

06.03/2018/1235/जेके/डीसी/4

अध्यक्षः अब माननीय वन मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगें।

वन मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. हिमाचल प्रदेश प्रतिपूरक पौधारोपण वित्त प्रबन्धन अधिनियम, 2016 की धारा 29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रतिपूरक पौधारोपण वित्त प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (हि0 प्र0 राज्य कैम्पा) का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10 (विलम्ब के कारणों सहित); और
ii. हिमाचल प्रदेश प्रतिपूरक पौधारोपण वित्त प्रबन्धन अधिनियम, 2016 की धारा 29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रतिपूरक पौधारोपण वित्त प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (हि0 प्र0 राज्य कैम्पा) का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11(विलम्ब के कारणों सहित)।

06.03/2018/1235/जेके/डीसी/5

अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2017- 2018 का प्रस्तुतीकरणः-

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री वित्तीय वर्ष 2017-2018 की अनुपूरक अनुदान मांगें (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) को सदन में प्रस्तुत करेंगें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं, वर्ष 2017-18 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की प्रथम तथा अन्तिम किस्त प्रस्तुत करता हूं।

ये अनुपूरक अनुदान मांगें कुल 3327 करोड़ 47 लाख रु0 की हैं जिनमें से 1816 करोड़ 06 लाख गैर-योजना स्कीमों, 1005 करोड़ 71 लाख योजनागत स्कीमों तथा 505 करोड़ 69 लाख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों हेतु प्रावधित किए गए हैं।

06.03.2018/1240/SS-HK/1

गैर-योजना व्यय में मुख्यतः 392 करोड़ 69 लाख ऋणों/अर्थोपाय अग्रिम की वापसी, 317 करोड़ 42 लाख ब्याज भुगतान, 246 करोड़ 08 लाख शिक्षा, 177 करोड़ 29 लाख विभिन्न जलापूर्ति स्कीमों के प्रचालन एवं रख रखाव, 96 करोड़ 29 लाख चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर, 91 करोड़ 18 लाख हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के पेंशन

भुगवान व अन्य भुगतान, 74 करोड़ 54 लाख रुपये सामाजिक सुरक्षा कल्याण के लिए प्रावधित किए गए हैं।

योजना स्कीमों के अन्तर्गत मुख्यतः 249 करोड़ 12 लाख विभिन्न सड़कों, भवनों व पुलों के निर्माण, 140 करोड़ 21 लाख विद्युत विकास, 125 करोड़ 46 लाख माध्यमिक, उच्चतर विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण, मिड-डे-मील, विद्यालय प्रबन्धन समिति व अभिभावक-अध्यापक संघ द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन, 72 करोड़ 47 लाख रेलवे व विधायक निधि इत्यादि के लिए और 69 करोड़ 77 लाख रुपये सिविल अस्पतालों के भवनों के निर्माण के लिए प्रावधित किए गए हैं।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत, इसमें से अधिकतर राशि चालू व नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केन्द्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई, के लिए प्रस्तावित है। 122 करोड़ 97 लाख नाहन, चम्बा और हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण, 56 करोड़ 33 लाख उधार एवं विपणन सहकारिताओं को ऋण, 40 करोड़ केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्तावित है। 38 करोड़ 35 लाख बी0पी0एल0 परिवारों को गेहूं और चावल पर उपदान, 27 करोड़ सड़कों तथा पुलों के निर्माण पर व्यय, 17 करोड़ 96 लाख प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, 15 करोड़ औषध प्रशासन और खाद्य सुरक्षा और 13 करोड़ 19 लाख रुपये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के लिए प्रस्तावित हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ महत्वपूर्ण अनुपूरक अनुदान मांगों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। मांगों का पूरा विवरण माननीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत दस्तावेजों में दर्शाया गया है।

इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन से इन अनुपूरक अनुदान मांगों को पारित करने की सिफारिश करता हूं।

06.03.2018/1240/SS-HK/2

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, 7 मार्च, 2018 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 6 मार्च, 2018 **सचिव।**